जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ 4172

दिनांक : 07-12-11

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार **श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, अवाडपुरा, ग्वालियर** को **सत्र 2010-11** के लिये प्रस्तावित/संचालित **बी.बी.ए. द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम** के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्ते/प्रतिबंध :-

(A)

1. महाविद्यालय स्वयं की भूमि क्रय करे। उस पर महाविद्यालय का भवन बनायें। जिस भवन में महाविद्यालय शुरु किया गया है उसमें स्कूल चलता है इस भवन में महाविद्यालय नहीं चलाया जा सकता है अतः स्वयं की भूमि खरीद कर 1 वर्ष में भवन बनायें।
2. शिक्षकों एवं प्राचार्य की नियुक्ति 28(17) के अन्तर्गत करें। परिनियम अनुसार लाइब्रेरीयन एवं स्पोर्ट ऑफीसर की नियुक्ति करें।
3. ग्रन्थालय में बी.बी.ए. पाठ्यक्रम की 25,000 रूपये की पुस्तकें क्रय करें।
4. 2009-10 की सम्बद्धता जिन शर्तो के आधार पर दी गई थी, उन्हें पूरा नहीं किया गया।
5. यदि स्वयं की भूमि शासकीय नियमानुसार पूरी नहीं की जाती है तो सत्र 2011-12 में प्रवेश न दें।

(B)

1. बी.लिब. पाठ्यक्रम एवं बी.सी.ए. (प्रथम वर्ष) हेतु न महाविद्यालय में जगह है नही साधन हैं अतः सत्र 2010-11 में इन पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता प्रदान नहीं की जाती है।
2. बिना सम्बद्धता के सत्र 2011-12 में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश न दिये जायें।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, **श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, अवाडपुरा, ग्वालियर।**
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा.-कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4519

दिनांक: 06/02/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, अवाडपुरा, ग्वालियर (99266-63462) को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.सी.ए. प्रथम वर्ष एवं बी.लिब. कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाऐं प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 23.01.2012 के द्वारा पुनः निरीक्षण हेतु निम्न पूर्व गठित निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण किया जाना है।

1. प्रो. जे.एन. गौतम, कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर। **(संयोजक)** (0751-2442603)
2. डॉ. डी.एन. गोस्वामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर
3. डॉ. एस.के. सिंह, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबन्धन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तो की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाऐं अंकित करें। निवेदन है कि पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन सात दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व समिति संयोजक का होगा। यदि महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष 15 दिवस के अन्दर समिति संयोजक व सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण नहीं करायें तो संयोजक संबद्धता प्रभारी को सूचित करें।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

टिप्पणी :- समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ता एवं मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

उप/सहा-कुलसचिव (सम्बद्धता)

\Yogi\Inspection Committee for Affiliation.doc

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 4985 दिनांक 01/06/12

// संशोधित अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22 मार्च, 2012 के पद क्रमांक (13) के निर्णयानुसार कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, अवाडपुरा, ग्वालियर को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.बी.ए. द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय स्वयं की भूमि क्रय करे। उस पर महाविद्यालय का भवन बनायें। जिस भवन में महाविद्यालय शुरू किया गया है उसमें स्कूल चलता है इस भवन में महाविद्यालय नहीं चलाया जा सकता है अतः स्वयं की भूमि खरीद कर 1 वर्ष में भवन बनायें।
2. शिक्षकों एवं प्राचार्य की नियुक्ति 28(17) के अन्तर्गत करें। परिनियम अनुसार लाइब्रेरियन एवं स्पोर्ट ऑफीसर की नियुक्ति करें।
3. ग्रन्थालय में बी.बी.ए. पाठ्यक्रम की 25,000 रुपये की पुस्तकें क्रय करें।
4. 2009-10 की सम्बद्धता जिन शर्तों के आधार पर दी गई थी, उन्हें पूरा नहीं किया गया।

आदेशानुसार
(हस्ताक्षर)
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, अवाडपुरा, ग्वालियर।
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(हस्ताक्षर)
उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)

E:\Yogi\2012\Adhisoochna.doc